संख्या 1161 / XVII(1)-3 / 2005-05(09) / 2005

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक 08 अगस्त, 2005

विषय: उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत अंश पूँजी के मद में वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में पारित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 803 / बजट / विकलांग / अंशपूँजी / 2005-06 दिनांक 21जुलाई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्वरोजगार अंशपूँजी मद में रू. 10लाख (रू. दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

3. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4225-अनुसूचित जातियों / जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूँजी-00 के मानक मद 30-निवेश / ऋण की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3428 / स.क. / 2004-359(समाज कल्याण) / 2003 दिनांक 29.2.2004 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित चेक द्वारा किया जाएगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 584 / XXVII(2) / 2005 दिनांक 01अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।

क्रमशः

संख्या : 1161 (1)/XVII(1)-3/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
7. बजट राजकोषीय संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के. एस. दरियाल)
अपर सचिव।